केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/80001 दिनांक 04.01.2018

सेवा में,

श्री पंकज कुमार मिश्रा,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उक्त विषयक आपका दिनांक 04.01.2018 का ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया है, का अवलोकन करें ।

आपके आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके आपने राज्य सरकारों से संबंधित सूचना मांगी है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरूद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं । अतः राज्यों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि ऑनलाइन आर.टी.आई. का कार्य संचालन केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा नहीं बल्कि डी.ओ.पी.टी. द्वारा किया जाता है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल